स्तंभ 3 के तहत बेसल-III प्रकटीकरण (31 मार्च, 2026 तक)

प्रकटीकरण प्रारूप -2: पूंजी पर्याप्तता

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

1. पूंजी पर्याप्तता

बैंक संभावित नुकसान के जोखिम से बचाव और अपने हितधारकों, जमाकर्ताओं और लेनदारों की सुरक्षा के लिए पूँजी बनाए रखता है और उसका प्रबंधन करता है। बैंक की भावी पूँजी आवश्यकता को उसकी व्यावसायिक रणनीति के अनुसार, उसकी वार्षिक व्यावसायिक योजना के एक भाग के रूप में अनुमानित किया जाता है।

1 जुलाई, 2024 से प्रभावी बेसल III दिशानिर्देशों के अनुरूप, बैंक अपने पूंजी अनुपातों की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार कर रहा है। बेसल III मानदंडों का ध्यान टियर I पूंजी की गुणवत्ता और मात्रा पर केंद्रित है। बैंक का जोखिम प्रबंधन ढाँचा, प्रभावी और निरंतर निगरानी एवं नियंत्रण के लिए, जहाँ तक संभव हो, ऋण, बाज़ार (चलनिधि सहित) और परिचालन जोखिम जैसे जोखिम के प्रमुख क्षेत्रों और इन जोखिमों के परिमाणीकरण पर केंद्रित है।

2. जोखिम प्रबंधन कार्य के लिए संगठनात्मक संरचना

बैंक द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय के आकार और प्रकृति पर विचार करने के बाद निम्नलिखित संगठनात्मक संरचना विकसित की गई है।

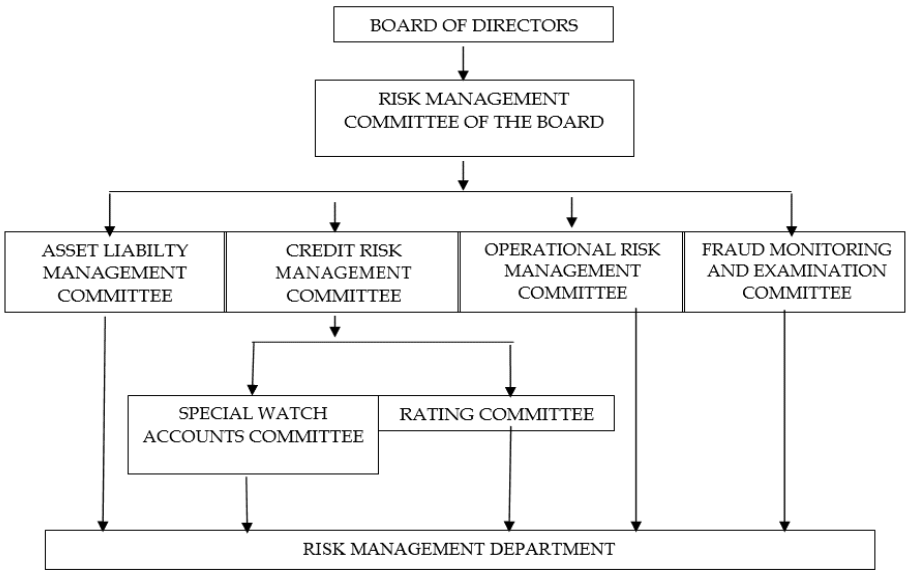

शीर्ष स्तर पर बोर्ड: जोखिम प्रबंधन और नियंत्रण प्रणालियों की स्थापना और पर्यवेक्षण की ज़िम्मेदारी बैंक के निदेशक मंडल की होगी। बोर्ड, बैंक के उद्यम जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क को उसके घटक नीतियों सहित अनुमोदित करेगा और विभिन्न जोखिम सीमाएँ निर्धारित करेगा।

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति: निदेशक मंडल ने बैंक की जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं की निगरानी हेतु एक बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति की स्थापना की है। बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति वित्तीय मॉडलों की मज़बूती सुनिश्चित करती है, जोखिम सहनशीलता सीमाओं के विरुद्ध प्रदर्शन की निगरानी करती है, और आंतरिक नियंत्रणों एवं जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन करती है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति नियमित रूप से बैंक के समग्र जोखिम प्रोफ़ाइल का आकलन करती है और बोर्ड को अनुमोदन के लिए जोखिम प्रबंधन नीतियों की सिफ़ारिश करती है।

जोखिम प्रबंधन विभाग: बैंक की जोखिम प्रबंधन नीति को क्रियान्वित करता है और सभी व्यावसायिक कार्यों से स्वतंत्र होता है । इसके तीन कार्य हैं, बाज़ार जोखिम, ऋण जोखिम और परिचालन जोखिम।

बैंक ने एकीकृत आधार पर बैंक-व्यापी जोखिम प्रबंधन के लिए एक संगठनात्मक फ्रेमवर्क स्थापित किया है। यह फ्रेमवर्क संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उद्यम-व्यापी आधार पर सभी भौतिक जोखिमों के मापन और प्रबंधन हेतु समन्वित प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। यह फ्रेमवर्क नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप तैयार किया गया है। बोर्ड बैंक की जोखिम प्रबंधन नीतियों को अनुमोदित करता है और बैंक की जोखिम क्षमता और जोखिम वहन क्षमता के आधार पर जोखिम सीमाएँ निर्धारित करता है।

बैंक के पास ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम, परिचालन जोखिम, निवेश और उधार आदि के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियाँ हैं। यह महत्वपूर्ण जोखिमों के प्रबंधन के प्रति एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने के बैंक के संकल्प को सुदृढ़ करता है।

3. जोखिम एक्सपोज़र और पूंजी पर्याप्तता

बैंक की एक आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया नीति है, जो बैंक के जोखिम प्रोफाइल के सापेक्ष पूंजी पर्याप्तता की समीक्षा करती है। यह नीति मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत वर्तमान और भविष्य के जोखिमों की पहचान, परिमाणीकरण और आकलन करती है। यह बैंक के जोखिम प्रोफाइल और पूंजी स्थिति पर गंभीर लेकिन संभावित परिदृश्यों के प्रभाव का आकलन करने के लिए नियामक तनाव स्थितियों सहित व्यापक तनाव परीक्षण के लिए एक रोडमैप भी प्रस्तुत करती है।

बैंक की आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया नीति स्तंभ II के अंतर्गत निम्नलिखित भौतिक जोखिमों को परिभाषित करती है:

क ऋण संकेन्द्रण जोखिम
ख बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम

ग प्रतिष्ठा जोखिम
घ रणनीतिक और व्यावसायिक जोखिम
ङ अनुपालन जोखिम
च तरलता जोखिम
छ पेंशन दायित्व जोखिम
ज साइबर सुरक्षा जोखिम

I. ऋण जोखिम

ऋण जोखिम, आय और पूंजी के लिए वर्तमान या संभावित जोखिम है, जो ऋणदाता संस्थान के साथ किसी भी ऋण सुविधा के लिए अनुबंध की शर्तों को पूरा करने में दायित्वकर्ता की विफलता या अपने दायित्व का सम्मान करने में विफलता से उत्पन्न होता है।

बैंकों के लिए, ऋण क्रेडिट जोखिम का सबसे बड़ा और सबसे स्पष्ट स्रोत हैं; हालाँकि, ऋण जोखिम के अन्य स्रोत बैंक की संपूर्ण गतिविधियों में मौजूद रहते हैं, जिसमें बैंकिंग बही, ट्रेडिंग बही, और बैलेंस शीट पर और उसके बाहर दोनों जगह शामिल हैं। बैंकों को विभिन्न वित्तीय साधनों में ऋण जोखिम (या प्रतिपक्ष जोखिम) का सामना करना पड़ रहा है।

II. बाजार ज़ोखिम

बाज़ार जोखिम वह जोखिम है जिसमें बैलेंस शीट पर मौजूद या उससे बाहर की स्थिति के मूल्य पर इक्विटी और ब्याज दर बाज़ारों में उतार-चढ़ाव, ब्याज दर में बदलाव और मुद्रा विनिमय दरों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार, बाज़ार जोखिम, ब्याज दरों के बाज़ार स्तर या प्रतिभूतियों, विदेशी मुद्रा और इक्विटी की कीमतों में बदलाव, साथ ही उन बदलावों की अस्थिरता के कारण बैंक की आय और पूँजी को होने वाला जोखिम है।

बैंक में बाजार जोखिम प्रबंधन ढांचा बैंक के ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के लिए जोखिम मूल्य, पीवी01 के लिए विवेकपूर्ण सीमाओं को परिभाषित करता है, जिसे "ट्रेडिंग के लिए रखा गया" और "बिक्री के लिए उपलब्ध" श्रेणियों के तहत वर्गीकृत किया गया है।

III. परिचालन जोखिम

परिचालन जोखिम अपर्याप्त या विफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों और प्रणालियों, या बाहरी घटनाओं से होने वाले नुकसान का जोखिम है। इस परिभाषा में कानूनी, धोखाधड़ी और तकनीकी जोखिम शामिल हैं, लेकिन रणनीतिक और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम शामिल नहीं हैं।

IV. प्रतिपक्ष ऋण जोखिम

प्रतिपक्ष ऋण जोखिम वह जोखिम है जिसके तहत किसी लेनदेन का प्रतिपक्ष, लेनदेन के नकदी प्रवाह के अंतिम निपटान से पहले चूक कर सकता है। यदि चूक के समय प्रतिपक्ष के साथ लेनदेन या लेनदेन के पोर्टफोलियो का बैंक के लिए सकारात्मक आर्थिक मूल्य हो, तो आर्थिक हानि होगी। ऋण के माध्यम से ऋण जोखिम के विपरीत, जहाँ ऋण जोखिम

एकतरफा होता है और केवल ऋणदाता बैंक ही हानि के जोखिम का सामना करता है, प्रतिपक्ष ऋण जोखिम हानि का एक द्विपक्षीय जोखिम उत्पन्न करता है जिससे कई विभिन्न प्रकार के लेनदेन का बाजार मूल्य किसी भी प्रतिपक्ष के लिए सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है।

बैंक ने डेरिवेटिव्स से जुड़े जोखिम के प्रबंधन के लिए एक रूपरेखा तैयार की है, जिनका उपयोग मुख्य रूप से हेजिंग के उद्देश्यों के लिए किया जाता है। डेरिवेटिव नीति में अनुमत डेरिवेटिव साधनों और उनसे संबंधित आंतरिक नियंत्रणों की सूची दी गई है। बैंक निम्नलिखित से सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूंजी रखेगा:

- डिफ़ॉल्ट जोखिम प्रभार - वह जोखिम है जो प्रतिपक्ष द्वारा डिफ़ॉल्ट किए जाने पर होता है।
- मार्क-टू-मार्केट प्रतिपक्ष जोखिम - इसमें क्रेडिट मूल्यांकन समायोजन जोखिम शामिल है।

V. बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम से तात्पर्य आय और पूंजी को होने वाले वर्तमान या संभावित जोखिम से है, जो ब्याज दरों में होने वाले प्रतिकूल बदलावों के कारण उत्पन्न होता है और बैंकिंग बही की संपत्तियों, देनदारियों तथा ऑफ-बैलेंस-शीट स्थितियों को प्रभावित करता है।

मूल्यांकन के एक भाग के रूप में, बैंक ने इक्विटी के आर्थिक मूल्य में परिवर्तनों का विश्लेषण करने के लिए संशोधित अवधि अंतराल दृष्टिकोण को अपनाया है, जिसके लिए बैंक द्वारा निर्दिष्ट (आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार) विभिन्न समय-सीमाओं में परिसंपत्तियों और देनदारियों का मानचित्रण आवश्यक है।

4. पूंजी पर्याप्तता का आकलन

बैंक को जिन पूंजीगत आवश्यकताओं का पालन करना आवश्यक है, वे इस प्रकार हैं:

	नियामक पूंजी	**आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में**
(i)	न्यूनतम सामान्य इक्विटी टियर 1 अनुपात	5.5
(ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	1.5
(iii)	न्यूनतम टियर 1 पूंजी अनुपात [(i)+(ii)]	7.0
(iv)	टियर 2 पूंजी	2.0
(v)	न्यूनतम कुल पूंजी अनुपात [(i)+(ii)]	9.0

बैंक के लिए न्यूनतम 9% पूंजी बनाए रखना अनिवार्य है। बैंक का सीआरएआर, बेसल III पूंजी विनियमों में निर्धारित नियामक न्यूनतम सीमा से अधिक है; और 31-03-2026 की स्थिति के अनुसार पूंजी अनुपात नीचे दिए गए हैं।

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

क्र. सं.	वस्तुएँ	31 मार्च, 2026 तक राशि (करोड़ में)
(क)	ऋण जोखिम के लिए पूंजीगत आवश्यकताएं	
	· मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो	2,657.96
	· प्रतिभूतिकरण जोखिम	-
(ख)	बाजार जोखिम के लिए पूंजीगत आवश्यकताएं	
	· मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण	387.04
	- ब्याज दर जोखिम	13.29
	- विदेशी मुद्रा जोखिम	11.21
	- इक्विटी जोखिम	362.54
(ग)	परिचालन जोखिम के लिए पूंजीगत आवश्यकताएं	
	· मूल संकेतक दृष्टिकोण	359.66
(घ)	सामान्य इक्विटी टियर 1, टियर 1 और कुल पूंजी	
	· समूह	
	- सीईटी 1 पूंजी	-
	- टियर 1 पूंजी	-
	- टियर 2 पूंजी	-
	- कुल पूंजी	-
	· स्टैंडअलोन	
	- सीईटी 1 पूंजी	16,707.44
	- टियर 1 पूंजी	16,707.44
	- टियर 2 पूंजी	369.16
	- कुल पूंजी	17,076.60
(ड़)	सामान्य इक्विटी टियर 1, टियर 1 और कुल पूंजी अनुपात:	
	· समूह सीआरएआर	
	- सीईटी 1 अनुपात	-
	- टियर 1 अनुपात	-
	- टियर 2 अनुपात	-
	- सीआरएआर	-
	· स्टैंडअलोन सीआरएआर	
	- सीईटी 1 अनुपात	42.99%
	- टियर 1 अनुपात	42.99%
	- टियर 2 अनुपात	0.95%
	- सीआरएआर	43.94%

प्रकटीकरण प्रारूप-3: ऋण जोखिम - सामान्य प्रकटीकरण

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

1. पिछले देय और क्षतिग्रस्त की परिभाषाएँ (लेखा प्रयोजनों के लिए):

बैंक अपने ऋणों और निवेशों को भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार निष्पादित और गैर निष्पादित ऋणों में वर्गीकृत करता है।

2. ऋण जोखिम

ऋण जोखिम को सरल शब्दों में इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि बैंक का उधारकर्ता या प्रतिपक्ष सहमत शर्तों के अनुसार अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल हो सकता है। यह उधारकर्ताओं या प्रतिपक्षों की ऋण गुणवत्ता में कमी से जुड़ी हानि की संभावना है। बैंक के पोर्टफोलियो में, हानियाँ ग्राहक या प्रतिपक्ष द्वारा ऋण, व्यापार, निपटान और अन्य वित्तीय लेनदेन से संबंधित प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में असमर्थता या अनिच्छा के कारण पूर्ण चूक से उत्पन्न होती हैं। दूसरी ओर, हानियाँ ऋण गुणवत्ता में वास्तविक या अनुमानित गिरावट के कारण पोर्टफोलियो में कमी के कारण होती हैं।

बैंक की जोखिम प्रबंधन नीति पर चर्चा

बैंक ने एक विस्तृत जोखिम प्रबंधन नीति लागू की है। इस नीति का लक्ष्य, अन्य बातों के अलावा, बैंक के सभी परिचालनों में ऋण जोखिम की पहचान, मूल्यांकन और प्रभावी प्रबंधन के लिए एक पारदर्शी फ्रेमवर्क तैयार करना और दीर्घकालिक रूप से संगठनात्मक सुदृढ़ता एवं स्थिरता सुनिश्चित करना है। यह नीति बैंक के ऋण व्यवसाय की प्रकृति, क्रेडिट रेटिंग मॉडल, रेटिंग समिति की संरचना, ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) की भूमिकाएँ और ज़िम्मेदारियाँ, तथा बेसल 3 दिशानिर्देशों के अनुसार पूँजी गणना पद्धति का विस्तृत विवरण देती है।

क्रेडिट जोखिम रेटिंग मॉडल

वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, बैंक ने विभिन्न श्रेणियों के उधारकर्ताओं के लिए आंतरिक ऋण जोखिम रेटिंग मॉडल तैयार किए हैं, जिनमें उधारकर्ताओं का मूल्यांकन एक आंतरिक रेटिंग समिति द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार, सभी गैर-एसएलआर निवेशों के लिए, जारीकर्ता/प्रतिपक्ष को एक उपयुक्त आंतरिक ऋण जोखिम रेटिंग मॉडल के आधार पर रेटिंग दी जाएगी। वर्तमान में प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों और उधारकर्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए आंतरिक ऋण जोखिम रेटिंग मॉडल का पालन किया जा रहा है।

ऋण स्वीकृति और संबंधित प्रक्रियाएं

क ऋण मूल्यांकन मानक: स्वीकृति, संवितरण, संग्रहण और एमआईएस से संबंधित प्रक्रियाएँ मानक संचालन प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित होती हैं। स्वीकृति ज्ञापन मानक संचालन प्रक्रिया में निर्धारित प्रारूप के अनुसार तैयार किए जाते हैं। मूल्यांकन और स्वीकृति के मानदंडों में बुनियादी पात्रता मानदंडों और प्रमुख वित्तीय मानदंडों का अनुपालन शामिल है।

ख जोखिम सीमाएँ: प्रतिपक्ष जोखिम मानदंड प्रतिपक्ष की आंतरिक रेटिंग के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं और अधिकतम जोखिम सीमा बैंक की जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार निर्धारित की जाती है। जोखिम प्रबंधन नीति में विभिन्न श्रेणियों के प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों जैसे आवास वित्त कंपनियों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आदि के लिए जोखिम मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

ग मंजूरी देने की शक्तियां: मंजूरी देने की शक्तियां विभिन्न समितियों के माध्यम से बैंक की जोखिम प्रबंधन नीति में परिभाषित की जाती हैं।

ऋण निगरानी तंत्र:

ऋण निगरानी एक सतत प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य बैंक के ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। निगरानी को और मज़बूत बनाने के लिए, बैंक ने ऑनसाइट और ऑफसाइट निगरानी तंत्र स्थापित किए हैं। ये सिस्टम पोर्टफोलियो के समय पर विश्लेषण को सुनिश्चित करते हैं, और इसके साथ ही अंतर्निहित प्रतिभूतियों तथा समग्र ऋण एक्सपोज़र पर नियंत्रण रखने में भी सहायक होते हैं।

क ऋण निरीक्षण: प्रत्येक स्वीकृत की गई सुविधा के लिए, पहली किस्त जारी होने के बाद ऋण निरीक्षण किए जाते हैं। मौजूदा उधारकर्ताओं के लिए, जिनकी सीमा अभी भी बकाया है, लेकिन जिन्होंने किसी भी तरह की बढ़ोतरी या नई सीमा के लिए आवेदन नहीं किया है, उनके निरीक्षण हर वर्ष किए जाते हैं। इससे उधारकर्ता के कामकाज, सुरक्षा की स्थिति और निधि के अंतिम इस्तेमाल का समय-समय पर मूल्यांकन सुनिश्चित होता है। हालाँकि, नए ग्राहकों के मामले में, प्रत्येक स्वीकृत के बाद, पहली किस्त जारी होने से पहले ऋण निरीक्षण किया जाता है।

ख विशेष निगरानी खातों की (एसडब्ल्यूए) की निगरानी: विशेष निगरानी खातों के वर्गीकरण का उद्देश्य उन ऋण खातों की पहचान करना है, जो पहले से तय एसडब्ल्यूए पैमानों के आधार पर तनाव के शुरुआती संकेत दिखा रहे हैं। इससे बैंक को परिसंपत्ति की गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने में मदद मिलती है। बैंक एसडब्ल्यूए मानदंडों के अनुसार उभरती कमजोरियों का पता लगाने के लिए, समय-समय पर अपने पूरे पोर्टफोलियो में इन पैमानों की निगरानी करता है।

ग सभी बकाया खातों की वार्षिक ऋण समीक्षा: ऋण समीक्षा तंत्र बैंक के ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने का एक प्रभावी उपकरण है। इस तंत्र के तहत, सभी बकाया ऋण खातों की वार्षिक समीक्षा की

जाती है। यह प्रक्रिया पीएलआई के प्रदर्शन, विवेकपूर्ण पुनर्वित्त सीमा के पालन और उभरते जोखिमों का आकलन करती है, जिससे पोर्टफोलियो की निगरानी और अधिक सुदृढ़ होती है।

घ रिटर्न का विश्लेषण (ऑफसाइट निगरानी): रिटर्न का विश्लेषण, बैंक के ऑफसाइट निगरानी ढांचे का एक घटक है। बैंक, प्राथमिक ऋणदाता संस्थाओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित विभिन्न रिटर्न का समय-समय पर विश्लेषण करता है। इन रिटर्न की बारीकी से जाँच की जाती है, ताकि बकाया पुनर्वित्त राशि के मुकाबले उपलब्ध प्रतिभूति की पर्याप्तता का आकलन किया जा सके और उभरते रुझानों या जोखिम संकेतकों की पहचान की जा सके। इस विश्लेषण से प्राप्त अंतर्दृष्टियों की मदद से बैंक, उपलब्ध प्रतिभूति में कमियों का पता लगा पाता है और उन परिचालन या वित्तीय मुद्दों को उजागर कर पाता है, जिनके लिए समय पर सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता हो सकती है।

3. पात्र संपार्श्विक

बैंक अपने सामने आने वाले ऋण जोखिमों को कम करने के लिए कई तकनीकों का इस्तेमाल करता है। उदाहरण के लिए, जोखिम को प्रथम प्राथमिकता वाले दावों द्वारा संपार्श्विक बनाया जा सकता है, या किसी तीसरे पक्ष द्वारा गारंटी दी जा सकती है, आदि।

ऋण जोखिम न्यूनीकरण का तात्पर्य तीसरे पक्ष की गारंटी सहित मूर्त और वसूली योग्य प्रतिभूतियों का सुरक्षा जाल बनाकर तथा देनदार के शोधन अक्षमता/दिवालियापन/परिसमापन की स्थिति में सुरक्षित ऋणदाता का दर्जा प्राप्त करके ऋण जोखिम में कमी लाना है।

वर्तमान में, राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा स्वीकार किए गए नीचे उल्लिखित उपकरण/संपार्श्विक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी बेसल III दिशानिर्देशों के तहत ऋण जोखिम शमन के लिए पात्र हैं:

- बैंक गारंटी
- मूल संस्थान की कॉर्पोरेट गारंटी
- केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा जारी सरकारी गारंटी

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

क. कुल सकल ऋण जोखिम एक्सपोज़र

विवरण	**31 मार्च, 2026 तक राशि (करोड़ में)**
निधि आधारित जोखिम	1,18,199.82
गैर-निधि आधारित जोखिम *	35,698.53
कुल सकल ऋण जोखिम **	**1,53,898.35**

** गैर-निधि आधारित जोखिम में स्वीकृत मंज़ूरी राशि का वह हिस्सा शामिल है जिसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है, और जो पुनर्वित्त, परियोजना वित्त और शहरी अवसरंचना विकास निधि से संबंधित है।*

***सकल ऋण जोखिम में ऋण एवं अग्रिम (एनपीए के लिए प्रावधानों को घटाकर) शामिल हैं।*

ख. एक्सपोज़र का भौगोलिक वितरण

एक्सपोज़र	31 मार्च, 2026 तक राशि (करोड़ में)		
	निधि आधारित एक्सपोजर	गैर-निधि आधारित एक्सपोजर	कुल
घरेलू परिचालन	1,18,199.82	35,698.53	1,53,898.35
विदेशी परिचालन	-	-	-
कुल	**1,18,199.82**	**35,698.53**	**1,53,898.35**

ग. उद्योग एक्सपोज़र का वितरण

उद्योग	31 मार्च, 2026 तक राशि (करोड़ में)	
	निधि आधारित एक्सपोजर	गैर-निधि आधारित एक्सपोजर
आवास वित्त कंपनियां	89,612.62	25,021.71
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	23,341.98	520.00
शहरी अवसंरचना विकास	2,470.66	10,156.82
परियोजना वित्त	39.77	-
ट्रेप्स उधार	2,734.79	-
कुल	**1,18,199.82**	**35,698.53**

घ. उन उद्योगों का ऋण जोखिम, जिनका बकाया जोखिम बैंक के कुल सकल ऋण जोखिम के 5% से अधिक है, निम्नानुसार है:

31 मार्च, 2026 तक

उद्योग	कुल एक्सपोजर (करोड़ में)	कुल सकल ऋण जोखिम का %
आवास वित्त कंपनियां	1,14,634.33	74.49%
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	23,861.98	15.51%
शहरी अवसंरचना विकास निधि	12,627.48	8.21%

ङ. परिसंपत्तियों का अवशिष्ट संविदात्मक परिपक्वता विवरण

				31 मार्च, 2026 तक राशि (करोड़ में)
परिपक्वता पैटर्न	**निवेश**	**ऋण और अग्रिम**	**विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ**	**कुल**
1 से 7 दिन	0.00	3,421.72	0.00	3,421.72
8 से 14 दिन	0.00	0.00	0.00	0.00
15 से 28 दिन	100.65	0.00	0.00	100.65
29 दिन से 3 महीने तक	1.33	225.77	0.00	227.10
3 महीने से 6 महीने तक	1,089.37	6,015.05	0.00	7,104.42
6 महीने से 1 वर्ष तक	593.10	11,126.93	0.00	11,720.03
1 वर्ष से 2 वर्ष तक	95.12	20,513.89	0.00	20,609.01
2 वर्ष से 3 वर्ष तक	95.81	17,752.36	0.00	17,848.17
3 वर्ष से 5 वर्ष तक	412.74	27,332.74	0.00	27,745.48
5 वर्ष से 7 वर्ष तक	921.37	21,621.58	0.00	22,542.95
7 वर्ष से 10 वर्ष तक	16.71	10,189.78	0.00	10,206.49
10 वर्षों से अधिक	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**3,326.20**	**1,18,199.82**	**0.00**	**1,21,526.02**

च. गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) की राशि

			राशि (करोड़ में)
क्र. सं.	**वस्तुएँ**		**31 मार्च, 2026**
a)	**सकल एनपीए**		
	•	संदिग्ध 1	-
	•	संदिग्ध 2	-
	•	संदिग्ध 3	-
	•	क्षति	644.60
	•	संदिग्ध 1	9.08
b)	**शुद्ध एनपीए**		-
c)	एनपीए अनुपात		-
	•	सकल अग्रिमों में सकल एनपीए (%)	0.55%
	•	शुद्ध अग्रिमों में शुद्ध एनपीए (%)	0.00%
d)	**एनपीए की गतिशीलता (सकल)**		
	•	प्रारम्भिक शेष (01.10.2025 की स्थिति के अनुसार)	653.68
	•	परिवर्धन	-
	•	कटौती	-
	•	समापन शेष (31.03.2026 की स्थिति के अनुसार)	653.68
e)	**एनपीए के लिए प्रावधानों का संचलन**		
	•	प्रारम्भिक शेष (01.10.2025 की स्थिति के अनुसार)	653.68
	•	इस अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	-
	•	बट्टे	-
	•	अतिरिक्त प्रावधानों को वापस लेना	-
	•	प्रावधानों के बीच स्थानांतरण सहित कोई अन्य समायोजन	-
	•	समापन शेष (31.03.2026 की स्थिति के अनुसार)	653.68
f)	गैर-निष्पादित निवेश की राशि		0.53
g)	गैर-निष्पादित निवेशों के लिए रखे गए प्रावधानों की राशि		0.53
h)	निवेश पर मूल्यह्रास के प्रावधानों का संचलन		
	•	प्रारम्भिक शेष (01.10.2025 की स्थिति के अनुसार)	61.04
	•	इस अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	-
	•	बट्टे	
	•	अतिरिक्त प्रावधानों को वापस लेना	-
	•	समापन शेष (31.03.2026 की स्थिति के अनुसार)	61.04

छ. प्रमुख उद्योग या प्रतिपक्ष प्रकार के अनुसार

उद्योग / प्रतिपक्ष	सकल एनपीए	पिछले देय ऋण	प्रावधान	वर्तमान अवधि के दौरान राइट ऑफ
आवास वित्त	644.60	संदिग्ध-3	644.60	-
	9.08	क्षति	9.08	
कुल	653.68		653.68	-

प्रकटीकरण प्रारूप -4 - मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो के लिए ऋण जोखिम प्रकटीकरण

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण:

क्रेडिट जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत रेटिंग एजेंसी का उपयोग

पूंजी गणना प्रक्रिया में बाहरी रेटिंग के उपयोग के संबंध में, बैंक पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंडों से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निर्देशों द्वारा निर्देशित होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, घरेलू एक्सपोज़र के लिए जोखिम भार का आकलन, घरेलू ईसीएआई (बाहरी ऋण मूल्यांकन संस्थानों) द्वारा दी गई बाहरी रेटिंग के आधार पर किया जाएगा।

निर्देशों में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, पूंजी पर्याप्तता की गणना हेतु घरेलू एक्सपोज़र के जोखिम भारांकन के प्रयोजनार्थ, निम्नलिखित घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों पर विचार किया जा रहा है:

- एक्यूआईटीई रेटिंग्स एंड रिसर्च लिमिटेड (एक्यूआईटीई)
- ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड (केयर)
- क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड
- आईसीआरए लिमिटेड
- इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड (इंडिया रेटिंग्स)
- इन्फोमेरिक्स वैल्यूएशन एंड रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड (इन्फोमेरिक्स)

इसके अतिरिक्त, पूंजी पर्याप्तता की गणना हेतु दावों की जोखिम भारिता निर्धारित करने के उद्देश्य से, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की पहचान की है:

- केयरएज ग्लोबल आईएफएससी लिमिटेड (सभी नॉन-रेसिडेंट कॉर्पोरेट एक्सपोज़र के लिए)
- फिच
- मूडीज़
- स्टैंडर्ड एंड पूअर्स

बैंक इन एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग के बीच न तो कोई भेदभाव करेगा और न ही उनके उपयोग को किसी विशेष प्रकार के जोखिम तक सीमित करेगा।

बैंक बाह्य क्रेडिट रेटिंग मूल्यांकन का उपयोग करते समय निरंतरता और रूढ़िवादिता सुनिश्चित करेगा। बैंक जोखिम भारांकन और जोखिम प्रबंधन दोनों उद्देश्यों के लिए, प्रत्येक प्रकार के दावे के लिए चुनी गई क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों और उनकी रेटिंग का लगातार उपयोग करेगा। बैंक केवल उन्हीं रेटिंग का उपयोग करेगा जो प्रतिपक्ष द्वारा मांगी गई हों और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हों।

बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि सुविधा/उधारकर्ता की बाह्य रेटिंग की समीक्षा रेटिंग एजेंसी द्वारा पिछले 15 महीनों के दौरान कम से कम एक बार की गई है तथा यह रेटिंग आवेदन की तिथि पर लागू है।

एक वर्ष से कम या उसके बराबर की संविदात्मक परिपक्वता अवधि वाले ऋणों के लिए, चयनित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई अल्पकालिक रेटिंग का उपयोग किया जाएगा। अन्य ऋणों के लिए, जिनकी संविदात्मक परिपक्वता अवधि एक वर्ष से अधिक है, चयनित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई दीर्घकालिक रेटिंग का उपयोग किया जाएगा।

जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया गया है, नकद ऋण जोखिम को दीर्घकालिक जोखिम के रूप में गिना जाएगा और तदनुसार, चयनित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई दीर्घकालिक रेटिंग प्रदान की जाएगी।

बैंक किसी प्रतिपक्षकार की दीर्घकालिक रेटिंग का उपयोग उसी प्रतिपक्षकार पर अनिर्धारित अल्पकालिक जोखिम के प्रॉक्सी के रूप में करेगा। जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिशानिर्देशों में निर्धारित किया गया है, बैंक घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की अल्पकालिक रेटिंग के लिए रेटिंग-जोखिम भार मानचित्रण का पालन करेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश उन सुविधाओं के लिए विशिष्ट शर्तें निर्धारित करते हैं जिनकी एक से ज़्यादा रेटिंग होती हैं। इस संदर्भ में, किसी सुविधा के लिए, जहाँ दो रेटिंग होती हैं, सबसे कम रेटिंग और जहाँ तीन या उससे ज़्यादा रेटिंग होती हैं, दूसरी सबसे कम रेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है।

क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा बैंक के दीर्घावधि और अल्पावधि ऋणों के लिए क्रमशः दी गई सभी दीर्घावधि और अल्पावधि रेटिंगों को बैंक द्वारा मुद्दा विशिष्ट रेटिंग के रूप में माना जाएगा।

प्रतिपक्ष पर बिना रेटिंग वाले अल्पकालिक दावे पर उस प्रतिपक्ष पर रेटिंग वाले अल्पकालिक दावे पर लागू जोखिम भार से कम से कम एक स्तर अधिक जोखिम भार लगेगा।

यदि किसी जारीकर्ता के पास बाह्य दीर्घकालिक रेटिंग के साथ अल्पकालिक या दीर्घकालिक जोखिम है, जो 150 प्रतिशत के जोखिम भार को प्रमाणित करता है, तो उसी प्रतिपक्ष पर सभी गैर-रेटेड दावों को, चाहे वे अल्पकालिक हों या दीर्घकालिक, 150 प्रतिशत जोखिम भार प्राप्त होगा, जब तक कि बैंक ने ऐसे दावों के लिए मान्यता प्राप्त क्रेडिट जोखिम शमन तकनीकों का उपयोग नहीं किया हो।

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण:

बैंक के एक्सपोज़र की राशि - प्रमुख जोखिम श्रेणियों में सकल अग्रिम (रेटेड और अनरेटेड) - मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत:

31 मार्च, 2026 तक राशि (करोड़ में)			
क्र. सं.	**विवरण**	**निधि आधारित एक्सपोजर राशि^**	**गैर-निधि आधारित एक्सपोजर राशि**
1.	100% जोखिम भार से नीचे	1,17,670.37	35,668.53
2.	100% जोखिम भार	391.90	30.00
3.	100% से अधिक जोखिम भार	137.55	-
4.	कटौती (जोखिम न्यूनीकरण)	-	-
	कुल	**1,18,199.82**	**35,698.53**

^सकल अग्रिम (रेटेड और अनरेटेड) में आवास वित्त कंपनियों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, शहरी अवसंरचना विकास निधि के अंतर्गत राज्य सरकारों, परियोजना वित्त ग्राहकों और ट्रेप्स ऋण के लिए ऋण शामिल हैं।

प्रकटीकरण प्रारूप -17: लेखांकन परिसंपत्तियों बनाम उत्तोलन अनुपात जोखिम माप की सारांश तुलना

क्र. सं.	मद	(राशि करोड़ में) 31 मार्च, 2026 तक
1	प्रकाशित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल समेकित परिसंपत्तियाँ	1,25,609.25
2	बैंकिंग, वित्तीय, बीमा या वाणिज्यिक संस्थाओं में निवेश के लिए समायोजन जो लेखांकन उद्देश्यों के लिए समेकित हैं लेकिन नियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं	-
3	परिचालन लेखांकन ढांचे के अनुसार तुलन पत्र पर मान्यता प्राप्त प्रत्ययी परिसंपत्तियों के लिए समायोजन, लेकिन उत्तोलन अनुपात जोखिम माप से बाहर रखा गया	-
4	व्युत्पन्न वित्तीय साधनों के लिए समायोजन	222.36
5	प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन (अर्थात, रेपो और समान सुरक्षित उधार) के लिए समायोजन	-
6	ऑफ-तुलन पत्र मदों के लिए समायोजन (अर्थात, ऑफ-तुलन पत्र एक्सपोज़र की क्रेडिट समतुल्य राशि में रूपांतरण)	10,186.75
7	अन्य समायोजन	(13.82)
8	**उत्तोलन अनुपात जोखिम**	**1,36,004.54**

प्रकटीकरण प्रारूप -18: उत्तोलन अनुपात सामान्य प्रकटीकरण (31 मार्च, 2026 तक)

(राशि करोड़ में)

	मद	उत्तोलन अनुपात ढांचा
	तुलन पत्र पर जोखिम	
1	बैलेंस शीट पर आइटम (डेरिवेटिव और एसएफटी को छोड़कर, लेकिन संपार्श्विक सहित)	1,25,609.25
2	(बेसल III टियर 1 पूंजी के निर्धारण में कटौती की गई परिसंपत्ति राशि)	(13.82)
3	**कुल तुलन पत्र पर जोखिम** (डेरिवेटिव और एसएफटी को छोड़कर) (पंक्तियों 1 और 2 का योग)	1,25,595.43
	व्युत्पन्न जोखिम	
4	सभी डेरिवेटिव लेनदेन से जुड़ी प्रतिस्थापन लागत (अर्थात, पात्र नकद भिन्नता मार्जिन का शुद्ध योग)	193.08
5	सभी डेरिवेटिव लेनदेन से संबद्ध पीएफई के लिए अतिरिक्त राशि	29.28
6	परिचालन लेखांकन ढांचे के अनुसार बैलेंस शीट परिसंपत्तियों से कटौती किए जाने पर व्युत्पन्न संपार्श्विक के लिए ग्रॉस-अप	-
7	(व्युत्पन्न लेनदेन में प्रदान की गई नकदी भिन्नता मार्जिन के लिए प्राप्य परिसंपत्तियों की कटौती)	-
8	(ग्राहक द्वारा स्वीकृत व्यापार जोखिमों का छूट प्राप्त सी.सी.पी. चरण)	-
9	लिखित क्रेडिट डेरिवेटिव की समायोजित प्रभावी काल्पनिक राशि	-
10	(लिखित क्रेडिट डेरिवेटिव के लिए समायोजित प्रभावी काल्पनिक ऑफसेट और ऐड-ऑन कटौती)	-
11	**कुल व्युत्पन्न जोखिम (पंक्ति 4 से 10 का योग)**	222.36
	प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन जोखिम	
12	बिक्री लेखांकन लेनदेन के समायोजन के बाद सकल एसएफटी परिसंपत्तियां (नेटिंग की कोई मान्यता नहीं)	-
13	(सकल एसएफटी परिसंपत्तियों के नकद देय और नकद प्राप्य की शुद्ध राशि)	-
14	एसएफटी परिसंपत्तियों के लिए सीसीआर जोखिम	-
15	एर्जेंट लेनदेन जोखिम	-
16	**कुल प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन जोखिम (पंक्ति 12 से 15 का योग)**	-
	अन्य ऑफ- तुलन पत्र पर जोखिम	
17	सकल काल्पनिक राशि पर ऑफ-बैलेंस शीट जोखिम	35,698.53
18	(क्रेडिट समतुल्य राशि में रूपांतरण के लिए समायोजन)	(25,511.78)
19	ऑफ-बैलेंस शीट आइटम (पंक्ति 17 और 18 का योग)	10,186.75
	पूंजी और कुल जोखिम	
20	**टियर 1 पूंजी**	16,707.44
21	**कुल एक्सपोज़र (पंक्ति 3, 11, 16 और 19 का योग)**	1,36,004.54
	उत्तोलन अनुपात	
22	**बेसल III उत्तोलन अनुपात**	12.28%